केंद्रीय विद्यालय क्र. 3 वायु सेना स्थल चकेरी कानपुर

KENDRIYA VIDYALAYA NO. 3 AFS CHAKERI KANPUR

दिनांक 20-07-2026

कक्षा 1 एवं 2 में प्रतीक्षा सूची से प्रवेश तथा कक्षा 9, 10, 11 (विज्ञान एवं वाणिज्य) तथा 12 (विज्ञान एवं वाणिज्य) में प्रवेश पंजीकरण संबंधित सूचना

1. सूचित किया जाता है कि सत्र 2026-27 के लिये कक्षा 1 एवं 2 की अत्यंत सीमित रिक्तियों हेतु पंजीकृत विद्यार्थियों को प्रतीक्षा सूची के अनुक्रम में दिनांक 21-07-2026 से प्रवेश दिया जाएगा।
2. **कक्षा 9, 10, 11 (विज्ञान एवं वाणिज्य) तथा 12 (विज्ञान एवं वाणिज्य) में सीमित रिक्तियों पर प्रवेश** हेतु पंजीकरण फॉर्म विद्यालय की वेबसाईट https://no3chakeri.kvs.ac.in अथवा विद्यालय से निशुल्क प्राप्त कर दिनांक 21-07-2026 से 25-07-2026 तक प्रातः 09:00 बजे से अपराहन 11:00 बजे तक जमा किए जा सकते हैं।
3. सभी प्रवेश केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जारी प्रवेश दिशा-निर्देशिका 2026-27 एवं समय-समय पर जारी स्पष्टीकरणों के अनुसार दिनांक 31-07-2026 तक ही लिए जाएंगे। अंतिम तिथि के बाद प्रवेश देना संभव नहीं होगा।
4. कक्षा 9 में प्रवेश हेतु पात्र विद्यार्थी को अधिकतम 100 अंकों की एक प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। तथा केवल उत्तीर्ण विद्यार्थियों के प्रवेश पर ही नियमानुसार विचार किया जाएगा।
5. कक्षा 11 (विज्ञान एवं वाणिज्य) में प्रवेश सेवा-प्राथमिकता श्रेणी के अनुक्रम में कक्षा 10 के हिन्दी, अंग्रेजी एवं अन्य 3 सर्वोत्तम विषयों के कुल प्राप्तांकों की श्रेणिवार तैयार मेरिट के आधार पर ही दिये जाएँगे।
6. कक्षा 10 एवं 12 में प्रवेश हेतु निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है:-
   a. बच्चा सीबीएसई से संबद्ध स्कूल में अध्ययनरत रहा हो।
   b. कक्षा 10/12 में प्रवेश के लिए, सत्र 2025-26 की कक्षा 9/11 की परीक्षा में कुल मिलाकर कम से कम 55% प्राप्तांक उत्तीर्ण होना अनिवार्य हैं।
   c. बच्चा केवीएस प्रवेश दिशानिर्देशों के अनुसार सर्वथा पात्र होना चाहिए।
   d. छात्र द्वारा चुने गए विषयों का संयोजन केंद्रीय विद्यालय में उपलब्ध होना चाहिए।
   e. कक्षा 10/12 में केवल केंद्र सरकार के नियमित कर्मचारियों के बच्चों को ही नियमानुसार प्रवेश दिया जाएगा।
7. पंजीकरण / प्रवेश फॉर्म के साथ निम्न दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति लगाना अनिवार्य है।
   i. पिछली कक्षा की अंकतालिका।
   ii. पिछले विद्यालय से जारी स्थानांतरण प्रमाणपत्र।
   iii. कक्षा 9/11 में सीबीएसई रेजिस्ट्रैशन की कॉपी।
   iv. बच्चे का नाम सहित जन्म प्रमाणपत्र (नगर निगम के जन्म मृत्यु प्रमाणपत्र कार्यालय द्वारा जारी ऑनलाइन प्रमाणपत्र की कॉपी / सेवा पुस्तिका की प्रमाणित प्रति)
   v. निवास प्रमाणपत्र (आधार कार्ड / मतदाता पहचान पत्र / फोन बिल / बिजली बिल / गैस कनैक्शन / ड्राइविंग लाइसेंस / तहसील द्वारा जारी निवास प्रमाणपत्र)
   vi. बच्चे का जाति प्रमाणपत्र (ऑनलाइन कॉपी, यदि लागू हो)
   vii. बच्चे की ब्लड ग्रुप रिपोर्ट
   viii. बच्चे का आधार कार्ड
   ix. अभिभावक का ईमेल एवं मोबाइल नंबर

x. सरकारी विभाग द्वारा जारी नवीनतम सर्विस प्रमाणपत्र एवं वेतन पर्ची, यदि लागू हो (डीडीओ के नाम, पद, हस्ताक्षर एवं फोन नं. के साथ)

xi. सरकारी विभाग द्वारा जारी कर्मचारी के स्थानांतरणों का विवरण, यदि लागू हो।

xii. विद्यालय से आवास की दूरी का प्रमाणपत्र

xiii. मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी दिव्यांग (विकलांग) प्रमाणपत्र, यदि लागू हो

xiv. सरकार द्वारा जारी आय प्रमाणपत्र, यदि लागू हो

8. पंजीकरण फॉर्म एवं सभी प्रमाणपत्रों में बच्चे एवं उसके माता-पिता के नाम एवं अन्य विवरण में समानता होनी चाहिए अन्यथा प्रवेश देना संभव नहीं होगा।
9. एक बच्चे के लिए केवल एक ही फॉर्म भरें अन्यथा फॉर्म निरस्त माना जाएगा।
10. समय से फॉर्म न भरने अथवा उपस्थित न होने पर प्रवेश देना संभव नहीं होगा।
11. प्रवेश शुल्क रु. 25/- होगा। तिमाही फीस केन्द्रीय विद्यालय संगठन के नियमानुसार होगी।
    शुल्क का विवरण :-

शुल्क विवरण		कक्ष 2 के लिए	कक्षा 3 से 8 के लिए	कक्षा 9 एवं 10 के लिए	कक्षा 11 एवं 12 के लिए
1	प्रवेश शुल्क - एकमुश्त	रु॰ 25	रु॰ 25	रु॰ 25	रु॰ 25
2	विद्यालय विकास निधि - प्रत्येक तिमाही	रु. 1500	रु. 1500	रु. 1500	रु. 1500
3	कंप्युटर फीस - प्रत्येक तिमाही	-	रु. 300	रु. 300	रु. 300
4	ट्यूशन फीस - प्रत्येक तिमाही	-	-	रु. 600	रु. 900 / 1200
	कुल देय शुल्क	**रु. 1525**	**रु. 1825**	**2425**	**रु. 2725/3025**
	कंप्युटर साइंस (विषयानुसार अतिरिक्त फीस)	-	-	-	रु. 150

12. प्रवेश हेतु अभिभावक को नियमानुसार निर्धारित फीस का भुगतान यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ऑनलाइन निर्धारित तिथि तक जमा करना अनिवार्य है। अन्यथा प्रवेश स्वतः ही निरस्त माना जाएगा।
13. केन्द्रीय विद्यालय संगठन के पत्रांक F. 110240/04/2013/KVS/Budget दिनांक 19-03-2013 के प्रावधानों के अनुसार सेवा श्रेणी 1 से 4 के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों) सरकारी कर्मचारियों (को सामान्यतः किसी प्रकार की छूट देना संभव नहीं होगा। उक्त छूट प्राप्त करने हेतु सेवा श्रेणी 1 से 4 तक के आवेदक को अपने विभाग से बाल शिक्षा भत्ता की प्रतिपूर्ति का अधिकारी न होने का विभागीय डी.डी.ओ .द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
14. अधिक जानकारी के लिए कृपया केन्द्रीय विद्यालय संगठन की वैबसाइट https://kvsangathan.nic.in/ का अवलोकन करें अथवा विद्यालय में संपर्क करें।

प्राचार्य